तत्काल

सं. आई-27011/2/2015-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शास्त्री भवन, ए विंग, 5वां तल,

डा. आर. पी. रोड, नई दिल्ली-110001

अप्रैल, 2015

माह मार्च, 2015 के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(रियाजुल हक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23389298

संलग्नः उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि संलग्नक सहित प्रेषितः

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, नई दिल्ली, मंत्रिमंडल सचिवालय।
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव शहरी विकास विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः उपसचिव (एके) - एमसीए वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

सं. आई-27011/2/2015-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मार्च, 2015 माह के लिए मासिक सार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय की मार्च, 2015 माह के लिए रिपोर्ट इस प्रकार है

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत पांच अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। चार अधिसूचनाएं नियमों में संशोधनों से संबंधित हैं और पांचवी अधिसूचना अधिनियम की धारा 454 के अनुसरण में अधिनिर्णय अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। इन अधिसूचनाओं के माध्यम से नियमों में किए गए परिवर्तनों का सारांश निम्नानुसार हैः

(i) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसके अधिकार) नियम, 2014 में संशोधन द्वारा उन 6 मदों को हटा दिया गया है जिन पर संकल्प के लिए बोर्ड की बैठकों में पारित करना और रजिस्टरी में अपेक्षित था। इससे कंपनियो द्वारा शीघ्र निर्णय लेने में सुविधा होगी।

(ii) कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में संशोधन द्वारा गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा एक श्रेणी के रूप में चल परिसंपत्तियो पर प्रभार लगाने की अनुमति दी गई है जिसमें अन्य नियामकों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रीय अपेक्षा के अनुसार स्वीकृत किए गए वाणिज्यिक कागजात या विदेशी मुद्रा बांड के मामले में प्रभार लगाने से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया है;

(iii) कंपनी (प्रंबधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 में संशोधन द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान की अनुमति देते हुए प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। नए प्रावधान में ई-मतदान संबंधी प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है ताकि बैठक में विचार-विमर्श और मतदान (ई-मतदान के बाद) के संबंध में पहले अपनाए जाने वाले व्यवहारों को अनुमति न दी जाए। संशोधित नियम में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि मतों की गिनती बैठक में मतदान पूरा होने के बाद ही की जाएगी। जन घोषणा/अभिलेख तारीख से संबंधित अन्य परिवर्तन भी स्पष्टता लाने और ई-मतदान द्वारा सदस्यों की अधिक सहभागिता में मदद करने हेतु किए गए हैं।

(iv) कंपनी (जमाराशि की स्वीकृति) नियम, 2014 में संशोधन द्वारा एक बार किए जाने वाले उपाय के रूप में शेयर/डिबेंचर (लंबित आबंटन) के लिए आवेदन राशि को नियमित करने के लिए 60 दिन की अतिरिक्त अवधि देने और जमा बीमा प्रावधानों के अनुसरण में बीमा उत्पादों के संबंध में 31.03.2016 या उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक का समय देने का प्रावधान है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित अनेक मुद्दों को स्पष्ट करते हुए माह के दौरान परिपत्र जारी किए गए हैं: कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों और कंपनी की पारिश्रमिक नीति अनुसार दिए गए ऋणों को अंतः कारपोरेट ऋणों से संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित नहीं किया जाता और प्राइवेट कंपनियों द्वारा अपने सदस्यों, निदेशकों और उनके संबंधियों से 01 अप्रैल, 2014 से पहले प्राप्त राशि (जो कंपनी अधिनियम, 1956 की जमा की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं) को अधिनियम के अंतर्गत 'जमा' नहीं माना जाएगा।

(ग) श्री मधुसूदन साहू को 27 मार्च, 2015 से 5 वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है।